

Disclaimer

The Institute of Chartered Accountants of India has given the right of translation of the study material in Hindi to third parties and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original study material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer the English version.

अस्वीकरण

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार तीसरे पक्ष को दिया है और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालाँकि मूल अध्ययन विषय-वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

पेपर – 7: प्रत्यक्ष कर कानून और अंतरराष्ट्रीय कराधान

भाग - II

प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है।

बाकी के पांच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें।

संबंधित उत्तरों में वर्किंग नोट्स होने चाहिए।

सभी प्रश्न मूल्यांकन वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं, जब तक प्रश्न में अन्यथा उल्लिखित न हो।

प्रश्न 1

एबीसी लिमि., एक विनिर्माण कंपनी, 01-11-2019 से तमिलनाडु राज्य में चमड़े के उत्पादों का निर्माण कर रही है। 31 मार्च, 2021, को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित मदों को नामे (डेबिट) या ऋण (क्रेडिट) करने के बाद 1,20,00,000 रु. का लाभ दिखाया:

- (i) वर्ष के लिए आरंभिक माल और अंतिम माल क्रमशः 55 लाख रु. और 54 लाख रु. के थे। आरंभिक माल को 10% अधिक मूल्यांकित किया गया था और अंतिम माल का मूल्यांकन 10% कम पर किया गया था।
- (ii) एबीसी लिमि. ने श्री जॉन, अमेरिकी नागरिक और अनिवासी को भारत के बाहर से ऑर्डर प्राप्त करने के लिए स्रोत पर कर कटौती किए बिना वर्ष के दौरान बिक्री कमीशन के रूप में 10 लाख रु. का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया।
- (iii) कंपनी के कर्मचारी श्री राज को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 45,000 रु. नकद का भुगतान किया गया।
- (iv) सूचीबद्ध कंपनी वीकेएल लिमि. के 2000 शेयरों को बेचने से 3,50,000 रु. का मुनाफा हुआ। ये शेयर 7-10-2020 को 250 रु. प्रति शेयर की दर से बेचे गए थे। 31-01-2018 को स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत वीकेएल लिमि. की उच्चतम कीमत 175 रु. प्रति शेयर थी। इन शेयरों को 10.06.2015 को 75 रु. प्रति शेयर की दर से खरीदा गया था। शेयरों की खरीद और बिक्री दोनों ही समय एसटीटी का भुगतान किया गया।
- (v) पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाला एसटीसीजी, जिस पर अधिनियम के तहत कोई मूल्यहास स्वीकार्य नहीं है- 75,000 रु.।
- (vi) एक्सवार्डजेड लिमि., एक घरेलू कंपनी, जिसके सभी शेयर निर्धारिती कंपनी के पास हैं, को 24-07-2020 को बेचे गए भूखंड पर 6 लाख रु. का लाभ। एबीसी लिमि. द्वारा 30-09-2019 को भूखंड का अधिग्रहण किया गया था।
- (vii) लाभ और हानि खाते के विवरण में घरेलू कंपनी से 6 सितंबर 2020 को मिला 50,000 रु. का लाभ शामिल है।
- (viii) व्यापार के विस्तार के लिए खोली गई नई शाखा के उद्घाटन से संबंधित खर्चों के लिए 20,000 रु. का भुगतान किया गया।

पेपर 7 के लिए सुझाए गए उत्तर: प्रत्यक्ष कर कानून और अंतरराष्ट्रीय कराधान वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों पर आधारित हैं, जो दिसंबर, 2021 की परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष ए. वाई. 2021-22 है।

- (ix) निर्धारित समय के भीतर अनुबंध को पूरा कर पाने में कंपनी के असफल रहने पर सरकार को दंड के रूप में 20,000 रु. का भुगतान किया गया। 4 की देरी हुई थी तथा अनुबंध के अनुसार कंपनी को सरकार को प्रतिमाह 5,000 रु. का जुर्माना देना पड़ा।
- (x) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कंपनी के प्रबंधक को 5 लाख रु. का भुगतान किया गया था।
- (xi) कंपनी द्वारा बनाए गए माल के अनिवासी क्रेताओं द्वारा की गई जमाराशियों पर बैंक प्रेषण द्वारा 75,000 रु. के ब्याज का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान कर की कटौती के बिना भारत से बाहर किए गए थे।

अतिरिक्त जानकारी:

- (1) वि.वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने अतिरिक्त 56 कर्मचारियों की नियुक्ति की। ये सभी कर्मचारी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में योगदान करते हैं। 56 कर्मचारियों में से 39 ने 1-6-2020 को 15,000 रु. प्रति माह के वेतन पर नौकरी शुरू की थी, 14 ने 45,700 रु. प्रति माह के वेतन पर 1-7-2020 से और 3 कर्मचारियों ने 22,000 रु. प्रति माह के वेतन पर 1-11-2020 से नौकरी शुरू की। 1-6-2020 को नौकरी शुरू करने वाले 9 कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह वाहक बैंक द्वारा किया जा रहा है। निर्धारित तिथि से पूर्व धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षा की गई है।
- (2) कंपनी ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में बैंक के माध्यम से 1,20,000 रु. का भुगतान किया है।
- (3) कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए धारा 115बीएबी के तहत रियायती कर दर और एमएटी से छूट का विकल्प चुना है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए देय कुल आय और कर की गणना प्रत्येक मद के साथ व्यवहार के कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हुए करें।

(14 अंक)

उत्तर

धारा 115बीएबी के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एबीसी लिमि. की कुल आय की गणना

ब्यौरा		राशि (रु. में)	
I	व्यापार और पेशे के लाभ और मुनाफा		
	लाभ और हानि विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ		1,20,00,000
	जोड़ें: आरंभिक माल का अधिमूल्यन [रु. 55,00,000 x 10/110]	5,00,000	
	अंतिम माल का अधिमूल्यन [रु. 54,00,000 x 10/90]	6,00,000	
	जोड़ें: डेबिट किए गए मद लेकिन अलग से विचार किए जाने या अस्वीकृत किए जाने के लिए		
	(1) श्री जॉन, अनिवासी, को भारत के बाहर से आदेश प्राप्त करने के लिए बिक्री कमिशन	शून्य	
	[श्री जॉन, अनिवासी एजेंट, को भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया गया कमिशन भारत में कर योग्य नहीं है। उनका कमिशन विदेशी मुद्रा में उन्हें किया जाता है]		

	<p>और इसलिए, भारत में उनके द्वारा या उनकी तरफ से प्राप्त नहीं किया जाता। चूंकि भारत से बाहर रहने वाले अनिवासी द्वारा ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कमीशन आय, भारत में कर के अधीन नहीं है, धारा 40(ए)(i) के तहत अस्वीकृति भारत के बाहर ऐसे अनिवासी को कमीशन के भुगतान के संबंध में नहीं होती, चाहे स्रोत पर कर की कटौती न की गई हो।^{1]}</p> <p>(2) कर्मचारी श्री राज को उनकी सेवानिवृत्ति पर भुगतान [धारा 40(ए)(3) में किसी बैंक पर आहरित अकाउंट पेयी चेक या बैंक अकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जो निर्धारित किया जा सकता है, 10,000 रु. से अधिक किए गए खर्च को अस्वीकार करने का प्रावधान है। हालांकि, धारा 40(ए)(3) के तहत कोई अस्वीकृति नहीं दी जानी है क्योंकि श्री राज को भुगतान की गई राशि उनकी सेवानिवृत्ति पर दी गई है और यह राशि 50,000 रु से अधिक नहीं है। यह अपवाद नियम 6डीडी में दिया गया है।]</p> <p>(3) व्यवसाय के विस्तार के लिए नई शाखा के उद्घाटन संबंधी खर्च [व्यवसाय के विस्तार हेतु नई शाखा के उद्घाटन के संबंध में व्यय राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य है क्योंकि यह पूर्ण या विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्य हेतु किया जाता है। चूंकि इसे पहले ही लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया जा चुका है, इसलिए किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।]</p> <p>(4) अनुबंध के निष्पादन में विफल रहने पर सरकार को दिया गया जुर्माना [निर्धारित समय के भीतर अनुबंध को पूरा न कर पाने के लिए 20,000 रु. का दिया गया जुर्माना कानून के उल्लंघन के लिए नहीं बल्कि संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन के लिए था और इसलिए यह एक स्वीकार्य खर्च है। चूंकि यह पहले से ही लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया जा चुका है, कोई अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।]</p>	<p>शून्य</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p>
--	---	--

¹ सीआईटी बनाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड [2018] 407 आईटीआर 165 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला

<p>(5) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना व्यय [धारा 35डीडीए के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर व्यय का केवल 1/5वां हिस्सा पांच वर्ष की अवधि में स्वीकार्य है। चूंकि व्यय की पूर्ण राशि लाभ और हानि विवरण में डेबिट की जाती है, इसलिए 4/5 को फिर से जोड़ने होगा [5,00,000रु. x 4/5].</p>	4,00,000	
<p>(6) माल के अनिवासी खरीददारों को उनके द्वारा किए गए जमा पर ब्याज का भुगतान [माल के अनिवासी खरीददार को उनके द्वारा जमा की गई राशि पर दिया गया ब्याज भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है क्योंकि इस प्रकार के ब्याज का भुगतान कंपनी, निवासी, द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार के जमा का उपयोग भारत में अपने व्यावसायिक उद्देश्यों में करता है। इसलिए, इस प्रकार के ब्याज पर भारत में कर लगता है और एबीसी लिमि. को ऐसे ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती करनी होती है। इसलिए धारा 40(ए)(i) के तहत भुगतान किए गए ब्याज का 100% अस्वीकरण मान्य है क्योंकि उसके स्रोत पर कर कटौती नहीं की गई है।]</p>	75,000	
<p>(7) वाहक चेक के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान [वाहक चेक के माध्यम से दिया गया वेतन (9 कर्मचारी x 15,000 रु. x 10 माह) धारा 40ए(3) के तहत अस्वीकृत होगा और इसलिए इसे फिर से जोड़ना होगा] [उत्तर के आखिर में टिप्पणी देखें]</p>	13,50,000	
		<p style="text-align: right;">29,25,000</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1,49,25,000</p>
<p>घटाएं: आइटम क्रेडिट किए गए लेकिन किसी अन्य मद/ व्यय के तहत कर योग्य हैं लेकिन डेबिट नहीं किए गए हैं</p>		
<p>1. मेसर्स वीकेएल लिमि. के शेयरों की बिक्री पर लाभ [वीकेएल लिमि. के शेयरों की बिक्री पर होने वाला पूंजीगत लाभ "पूंजीगत लाभ" मद के तहत कर योग्य है। चूंकि शेयरों की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि के विवरण में नामे किया गया है इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय घटाया जाना है।]</p>	3,50,000	
<p>2. पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ जिस</p>	75,000	

	<p>पर कोई मूल्यहास स्वीकार्य नहीं है [पूँजीगत संपत्ति की बिक्री से होने वाला अल्पकालिक पूँजीगत लाभ “पूँजीगत लाभ” मद के तहत कर योग्य है। चूंकि इस प्रकार के एसटीसीजी को लाभ और हानि के विवरण में जमा किया गया है इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय घटाया जाना है।]</p>		
	<p>3. 100% अनुषंगी को भूखंड की बिक्री पर लाभ [“पूँजीगत लाभ” मद के तहत कर योग्यता या अन्यथा पर विचार किया जाना है। चूंकि इस प्रकार के लाभ को लाभ और हानि के विवरण में जमा का गया है इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय घटाया जाना है।]</p>	6,00,000	
	<p>4. घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश [घरेलू विदेशी कंपनी से लाभांश आय “अन्य स्रोतों से आय” मद के तहत कर योग्य है। चूंकि, उक्त लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में जमा किया गया है, इसलिए इसे व्यावसायिक आय की गणना करते समय घटाया जाना है।]</p>	50,000	
	<p>5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में योगदान [राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में भुगतान के संबंध में, व्यावसायिक आय की गणना करते समय धारा 35सीसीए के तहत कटौती स्वीकार्य है। धारा 115बीएबी को भी चुनने वाले निर्धारिती के मामले में यह कटौती अनुमेय है।]</p>	1,20,000	
			<u>11,95,000</u>
			1,37,30,000
II	पूँजीगत लाभ		
	<p>1. मेसर्स वीकेएल लिमि. के शेयरों की बिक्री पर होने वाला दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ [चूंकि शेयरों को 12 माह से अधिक समय तक रखा गया था] [प्रतिफल का पूर्ण मूल्य 5,00,000 (2,000 x 250 रु.)] घटाएं: अधिग्रहण लागत - (i) <u>3,50,000</u> और (ii) से अधिक (i) अधिग्रहण की वास्तविक लागत (2,000 x 75 रु.) 1,50,000 (ii) रु.3,50,000, 31.1.2018 को उचित बाज़ार मूल्य से कम होने के कारण (अर्थात् 3,50,000 रु., 2,000 x 175 होने के नाते) और बिक्री प्रतिफल (अर्थात् 5,00,000 रु.)</p>	1,50,000	

III	2. पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ जिस पर कोई मूल्यहास स्वीकार्य नहीं है	75,000	
	3. 100% अनुषंगी को भूखंड की बिक्री पर लाभ [24 माह से कम समय के लिए धारित भूखंड की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ होता है। हालांकि, इस मामले में, चूंकि अंतरण 100% अनुषंगी कंपनी को किया गया है और अनुषंगी कंपनी एक भारतीय कंपनी है, इसलिए इस पर पूंजीगत लाभ कर ² का स्थानांतरण नहीं होगा]	शून्य	2,25,000
	अन्य स्रोतों से आय		
	घरेलू कंपनी से लाभांश आय [50,000/90 x 100]		55,555
	सकल कुल आय		1,40,10,555
	धारा 80 जेजेएए के तहत कटौती [नीचे वर्किंग नोट देखें]		14,49,000
	कुल आय		1,25,61,555
	कुल आय (पूर्णांकित)		1,25,61,560

धारा 115बीएबी के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एबीसी लिमि. की देय कर की गणना

व्यौरा	रु.	रु.
धारा 112 ए के तहत 10% की दर से 1 लाख रु. से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर [50,000 रु. x 10%]		5,000
एक पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त 75,000 रु. के अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर जिस पर 22% की दर से मूल्यहास स्वीकार्य नहीं है		16,500
22% की दर से 55,555 रु. के लाभांश आय पर कर		12,222
1,22,81,000 रु. के व्यावसायिक आय पर 15% की दर से कर (यानि., 1,37,30,000 रु. – 14,49,000 रु.)		<u>18,42,150</u>
जोड़ें: 10% की दर से सरचार्ज		18,75,872
		<u>1,87,587</u>
जोड़ें: 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर		20,63,459
वित्तीय देयता		<u>82,538</u>
घटाएं: लाभांश आय पर टीडीएस		21,45,998
		<u>5,555</u>
देय कर		<u>21,40,442</u>
देय कर (पूर्णांकित)		21,40,440

² धारा 47(iv) के अनुसार

वर्किंग नोट- धारा 80जेजेएस के तहत कटौती की गणना

योग्य अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या [56 (-) 14 = 42]	33
[1.7.2020 को कार्यभार ग्रहण करने वाले 14 कर्मचारी "अतिरिक्त कर्मचारियों" के योग्य नहीं हैं क्योंकि उनका मासिक वेतन 25,000 रु. से अधिक है। हालांकि, 1.11.2020 को कार्यभार ग्रहण करने वाले 3 कर्मचारी अतिरिक्त कर्मचारी के योग्य हैं क्योंकि वे वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 150 से अधिक दिनों से कार्यरत रहे हैं।]	
अतिरिक्त कर्मचारी लागत का अर्थ है वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को दिए गए या देय कुल वेतन। हालांकि, 1.6.2020 को कार्यभार ग्रहण करने वाले 9 कर्मचारियों के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारी लागत जिनका वेतन वाहक चेक द्वारा दिया जाता है, शून्य होगा।	
अतिरिक्त कर्मचारी लागत	48,30,000 रु.
[15,000 रु. x 30 कर्मचारी (39 - 9) x 10 माह] + [22,000 रु. x 3 कर्मचारी x 5 माह] = 45,00,000 रु. + 3,30,000 रु.	
योग्य कटौती = 48,30,000 रु. का 30%	14,49,000 रु.

टिप्पणी- चूंकि यह मान लेना तर्कसंगत है कि कर्मचारियों को दिए गए वेतन को लाभ और हानि के विवरण में डेबिट कर दिया गया है, परिणामस्वरूप, हर माह 9 कर्मचारियों को वाहक चेक द्वारा दिया गया वेतन अस्वीकरण को आकर्षित करेगा। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9 कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिए गए 13,50,000 रु. को व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ की गणना करते समय फिर से जोड़ा गया है।

यदि यह माना जाता है कि कर्मचारियों को दिए गए वेतन का विवरण "अतिरिक्त जानकारी" के माध्यम से दिया गया है, केवल धारा 80जेजेएस के तहत कटौती की गणना के उद्देश्य से है तो, "व्यवसाय और पेशे के लाभ और मुनाफे" मद के तहत आय की गणना, वाहक चेक के माध्यम से कर्मचारियों को किए गए भुगतान के संबंध में धारा 40ए(3) के तहत अस्वीकृति का प्रावधान किए बिना होगा। ऐसे मामले में, व्यवसाय या पेशे का लाभ और मुनाफा 1,23,80,000 रु. होगा, सकल कुल आय 1,26,60,555 रु. और कुल आय (पूर्णांकित) 1,12,11,560 रु. होगी। कर देयता 19,14,337 रु. और कर देयता 19,08,780 रु. की होगी।

प्रश्न 2

(क) (i) 01-04-2020 को समय इंपेक्स लिमि. का विलय दिल्ली इंपेक्स लिमि. में हुआ था। धारा 72ए की सभी शर्तों का पालन किया गया था। समय इंपेक्स लिमि. में निर्धारण वर्ष 2020-21 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित अयोषित हानियां हैं:

क्र. सं.	व्यौरा	राशि रु. में
1.	अनुमानित हानि	5,00,000
2.	अनवशेषित मूल्यहास	18,00,000
3.	वैज्ञानिक शोध पर पूंजीगत प्रकृति का अनवशेषित खर्च	2,00,000
4.	व्यापार हानि	1,25,00,000

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समय इंपेक्स लिमि. के योग्य हानि को पूरा करने से पूर्व 175 लाख रु. के लाभ की गणना की है लेकिन 160 लाख रु. पर 15% प्रति वर्ष मूल्यहास प्रदान करने के बाद, इस दर पर दिल्ली इंपेक्स लिमि. को संयंत्र और मशीनरी का हस्तांतरण किया गया था और विचार किया जा रहा है।

31-03-2020 को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार समय इंपेक्स लिमिटेड के उपरोक्त संयंत्र और मशीनरी का अवलिखित मूल्य 100 लाख रु. था। दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड के उपरोक्त लाभ में 15 लाख रु. का अनुमानित लाभ भी है।

आपको निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड की कुल आया हानि की गणना करनी है।

समंजन धारा 72(2) के तहत दिए गए आदेश के आधार पर होनी चाहिए।

(4 अंक)

- (ii) सरकार ने अप्रैल 2019 में अनिवार्य रूप से श्री शिवम की भूमि का अधिग्रहण कर लिया और जून 2020 में 22 लाख रु. के मुआवजे का भुगतान किया। श्री शिवम ने यह भूमि जून 2003 में 12 लाख रु. में खरीदी थी। उन्होंने न्यायालय के माध्यम से अतिरिक्त मुआवजे की अपील की और फरवरी 2021 में उन्हें 18 लाख रु. दिए जाने का आदेश दिया गया लेकिन उन्हें ये पैसे मई 2021 में मिल सके। संबंधित निर्धारण वर्ष को बताते हुए उपरोक्त लेनदेन से कर योग्य पूंजीगत लाभ की गणना करें। अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में व्यय 30,000 रु. था और मुआवजे की वृद्धि प्राप्त करने पर 1 लाख रु. खर्च हुए।

लागत स्फीति सूचकांक: वित्त वर्ष 2003-04 : 109; वित्त वर्ष 2019-20: 289; वित्त वर्ष 2020-21: 301;

वित्त वर्ष 2021-22: 317

(4 अंक)

- (ख) अल्फा इंक ने सिंगापुर में कारोबार करते हुए अल्फा लिमिटेड, भुवनेश्वर को 1,50,000 एसडी (सिंगापुर डॉलर) का ऋण दिया। अल्फा लिमिटेड की कुल संपत्ति का अंकित मूल्य 120 लाख रु. है। अल्फा लिमिटेड, अल्फा इंक को सॉफ्टवेयर बैंकअप सहायता प्रदान करता है। अल्फा लिमि. ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अल्फा इंक को दी गई सेवाओं के लिए 30,000 कार्य घंटे खर्च किए हैं। अल्फा लिमिटेड की लागत 80 एसडी/मानव घंटा है। अल्फा लिमि. ने अल्फा इंक को 85 एसडी/मानव-घंटे की दर से बिल भेजा है। भुवनेश्वर में गामा लिमिटेड, जिसका बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है, मलेशिया के पिनांग में बीटा इंक को सॉफ्टवेयर बैंकअप सपोर्ट प्रदान करता है।

गामा लिमिटेड की लागत और परिचालन लाभ इस प्रकार है:

व्यौरा	राशि (लाख में)
प्रत्यक्ष लागत	500
अप्रत्यक्ष लागत	100
परिचालन लाभ	100

- (क) लेन-देन के शुद्ध मार्जिन पद्धति का उपयोग कर गामा लिमिटेड के उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर अल्फा लिमि और अल्फा इंक के बीच लेन-देन के वास्तविक मूल्य की गणना करें। मान ले कि 1 एसडी = 55 रु.

पेपर – 7 : प्रत्यक्ष कर कानून और अंतरराष्ट्रीय कराधान
(PAPER – 7 : DIRECT TAX LAWS & INTERNATIONAL TAXATION)

9

(ख) क्या अल्फा लिमिटेड की कुल आय में कोई समायोजन की आवश्यकता है?

ध्यान दें: एसडी = सिंगापुर डॉलर

(6 अंक)

उत्तर

(क) (i) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड की कुल आय की गणना

व्यौरा	लाख रु. में
समंजन पूर्व व्यावसायिक आय ने समय इंपेक्स लिमिटेड के घाटे को सामने लाया	175
जोड़े समय इंपेक्स लिमिटेड के दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना में अधिक मूल्यहास का दावा किया गया। जिस मूल्य पर समय इंपेक्स लिमि. द्वारा संपत्ति हस्तांतरित की जाती है	160
समय इंपेक्स लिमि. के बहीखातों में डब्ल्यूडीवी अधिक हिसाब	100
दिल्ली इंपेक्स लिमि. की कर योग्य आय की गणना में दावा किया गया अतिरिक्त मूल्यहास [60 लाख रु. x 15%]	60
समय इंपेक्स लिमि. के व्यापारिक हानि का समंजन धारा 72ए के साथ पठित धारा 32(2) के तहत अनवशोषित मूल्यहास का समंजन	9
धारा 35(4) के साथ पठित धारा 35(1)(iv) के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान पर अनवशोषित पूंजीगत व्यय का समंजन	184 (125) (18)
कुल आय	(2) 39

ध्यान दें:

- (1) समामेलन कंपनी, समय इंपेक्स लिमि. के अनवशोषित हानि और अवशोषित मूल्यहास को पिछले वर्ष के लिए जिसमें समामेलन किया गया था (यानि 2020-21) के लिए समामेलित कंपनी दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड की हानि या अनवशोषित मूल्यहास माना जाएगा और इस प्रकार के व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यहास को समामेलित कंपनी, दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड द्वारा क्रमशः 8 वर्ष की अवधि और अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया और समंजन किया जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान पर अनवशोषित पूंजीगत व्यय को उसी प्रकार से समायोजित और आगे बढ़ाया जा सकता है जैसे अनवशोषित मूल्यहास।
- (2) धारा 72ए(7) के अनुसार, संचित हानि को अग्रणीत किया जाता है लेकिन अनुमानित व्यवसाय में होने वाली हानि इसमें शामिल नहीं होती। इसलिए, समय इंपेक्स लिमि. के 5 लाख रु. की अनुमानित हानि को दिल्ली इंपेक्स लिमि. द्वारा अग्रणीत नहीं किया जा सकता है।

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

- (3) धारा 72(2) के अनुसार, इस मामले में चूंकि समय इंपेक्स लिमिटेड के व्यापार हानि, अनवशोषित मूल्यहास और अनवशोषित वैज्ञानिक अनुसंधान पूंजीगत व्यय को दिल्ली इंपेक्स लिमिटेड द्वारा अग्रणीत किया जाना है, पहले व्यापार घाटे को अग्रणीत किया जाना चाहिए और फिर अनवशोषित मूल्यहास और अनवशोषित पूंजीगत व्यय को।

(ii) **निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री शिवम के पूंजीगत लाभ की गणना**

व्यौरा	रु.
प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (प्राप्त मुआवज़ा) [प्राप्त हुए वर्ष यानि पिछले वर्ष 2020-21 में कर योग्य प्राप्ति]	20,00,000
घटाएं: अनिवार्य अधिग्रहण संबंधी खर्च	30,000
	19,70,000
घटाएं: अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत [12,00,000 रु. × 289/109]	31,81,651
दीर्घकालिक पूंजीगत हानि (चूंकि भूमि > 24 माह से रखी गई थी) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए	12,11,651
ध्यान दें- चूंकि अनिवार्य अधिग्रहण वर्ष यानि वित्त वर्ष 2019-20 भूखंड हस्तांतरण का वर्ष है, इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सीआईआई को अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत की गणना हेतु विचार करना होगा।	

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए श्री शिवम की पूंजीगत लाभ की गणना

व्यौरा	रु.
प्रतिफल का पूर्ण मान	18,00,000
(प्राप्त बढ़ा हुआ मुआवज़ा प्राप्त होने के वर्ष यानि पिछले वर्ष 2021-22 में कर योग्य है)	
घटाएं: बढ़ा हुआ मुआवज़ा प्राप्त करने हेतु किया गया व्यय (कटौती के रूप में स्वीकार्य)	1,00,000
	17,00,000
घटाएं: निर्धारण वर्ष 2021-22 से दीर्घकालिक अवधि के पूंजीगत हानि का समंजन	12,11,651
निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ	4,88,349
ध्यान दें- बढ़े हुए मुआवज़े से अधिग्रहण की लागत के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है।	

- (ख) दो उद्यमों को तब संबद्ध उद्यम माना जाता है जब एक उद्यम दूसरे उद्यम की कुल संपत्ति के अंकित मूल्य का न्यूनतम 51% ऋण देता है।

इस मामले में, चूंकि अल्फा इंक, एक विदेशी कंपनी, ने, ने भारतीय कंपनी अल्फा लिमि. को ऋण दिया और यह ऋण अल्फा लिमि. की कुल संपत्ति के अंकित मूल्य का 68.75% [(55 x 1,50,000 रु. x 100/1,20,00,000)] है, इसलिए, अल्फा इंक और अल्फा लिमि. को एक दूसरे से संबद्ध उद्यम माना

जाएगा। चूंकि अल्फा लिमि. द्वारा अल्फा इंक को सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट के प्रावधान का लेनदेन, संबद्ध उद्यमों के बीच अंतरराष्ट्रीय लेनदेन है, इसलिए इस मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण की शर्तों को अपनाया जाएगा।

अल्फा लिमि. द्वारा अल्फा इंक को सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट के प्रावधान के लेनदेन के संचालन लाभ का निर्धारण

ब्यौरा	रु.
प्रति श्रम घंटे की बिलिंग [85 एसडी /घंटा x 55 रु.]	4675
प्रति श्रम घंटे की लागत [80 एसडी/घंटा x 55 रु.]	4400
प्रति श्रम घंटा परिचालन लाभ	275
लागत पर परिचालन लाभ (%) $[275 \times 100/4400] = 6.25\%$	

तुलनीय अनियंत्रित लेनदेन के परिचालन लाभ का निर्धारण यानि गामा लिमि. द्वारा बीटा इंक को सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट की शर्त

ब्यौरा	लाख रु. में
प्रत्यक्ष लागत	500
अप्रत्यक्ष लागत	100
कुल लागत	600
परिचालन लाभ	100
लागत पर परिचालन लाभ (%) $[100 \times 100/600] = 16.67\%$	

- टीएनएमएम लागू कर अल्फा लिमि. द्वारा अल्फा इंक को दिए गए सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट के प्रावधान की निष्पक्ष लेनदेन की गणना

ब्यौरा	रु.
अल्फा लिमि. के लिए लागत (प्रति श्रमघंटा) [80 एसडीx 55 रु./एमडी]	4,400.00
जोड़ें: लागत के % के रूप में शुद्ध संचालन लाभ (4,400 रु. का 16.67%)	733.48
निष्पक्ष लेनदेन (प्रति श्रम घंटा) रु. में	5,133.48
अल्फा इंक को सॉफ्टवेयर बैकअप समर्थन प्रदान करने के लिए अल्फा लिमिटेड द्वारा खर्च किए गए कुल श्रम घंटे की शुद्ध लागत $[5,133.48 \text{ रु.} \times 30,000 \text{ श्रम घंटा}] = 15,40,04,400 \text{ रु.}$	

- अल्फा लिमि. की कुल आय में किया जाने वाला समायोजन**

ब्यौरा	रु.
अल्फा इंक को सॉफ्टवेयर बैकअप समर्थन प्रदान करने के लिए अल्फा लिमि. द्वारा खर्च किए गए कुल श्रम घंटे की शुद्ध लागत	15,40,04,400
घटाएं: वास्तव में बिल की गई राशि $[85 \text{ एसडी} \times 55 \text{ रु./एसडी} \times 30,000 \text{ श्रम घंटे}]$	14,02,50,000
अल्फा लिमि. की कुल आय में किया जाने वाला शुद्ध समायोजन	1,37,54,400

प्रश्न 3

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

- (क) रामनारायण फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन 01-04-2006 को हुआ था। इसने पंजीकरण के लिए धारा 12ए के तहत आवेदन किया था और इसे निर्धारित प्राधिकारी से पंजीकरण की मंजूरी मिल गई थी जो 01-04-2010 से प्रभावी हुआ। ट्रस्ट को दिनांक 01-04-2010 से धारा 11 और 13 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर करों में भुगतान से छूट प्राप्त हुई है। यह ट्रस्ट 29-12-2010 को भंग कर दिया गया था। विघटन की तिथि पर ट्रस्ट की बैलेंस शीट इस प्रकार थी:

देयताएं	राशि (रु.)	संपत्ति	राशि (रु.)
ट्रस्ट का मूलधन (कॉर्पस)	6,00,000	भूमि और वहन	12,00,000
आरक्षित निधि रिज़र्व (प्रत्येक वर्ष 15% की संचित राशि से निर्मित)	3,00,000	इक्विटी शेयरों में निवेश-उद्धृत	4,00,000
भूमि और भवन की खरीद हेतु लिया गया ऋण	9,00,000	इक्विटी शेयरों में निवेश-गैर-उद्धृत (जेड लिमि. में)	1,50,000
गैर-उद्धृत शेयरों की खरीद हेतु लिया गया ऋण (वर्ष 2007-08 में लिया गया था)	1,00,000	नकद	1,00,000
		बैंक में जमा राशि	50,000
कुल	19,00,000	कुल	19,00,000

अतिरिक्त जानकारी:

- भूमि और भवन का एफएमवी 50,00,000 रु. है।
 - वर्ष 2007-08 के दौरान 50% गैर-उद्धृत शेयरों का अधिग्रहण किया गया था।
 - विघटन की तिथि पर उद्धृत शेयरों का बाजार मूल्य 18,00,000 रु. है।
 - भूमि और भवन का अधिग्रहण कृषि आय से किया जाता है।
 - जेड लिमि. के संबंध में जिसमें ट्रस्ट ने गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश किया, निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी 29-12-2019 को उपलब्ध थी:
 - 10 रु. प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 1,00,000 इक्विटी शेयर
 - संपत्तियों का कुल अंकित मूल्य (बुलियन, गहने के अलावा) 60,00,000 रु. है।
 - बुलियन और गहनों का बाजार मूल्य 30,00,000 रु. है।
 - 35,00,000 रु. की देनदारी है।
 - ट्रस्ट ने विघटन पर 31-12-2020 से पहले अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत अन्य ट्रस्ट को 8,00,000 रु. मूल्य की संपत्ति दी।
- धारा 115टीडी के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए रामनारायण फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा देय कर की गणना करें। (8 अंक)
- (ख) श्री अनिल तलपड़े, उम्र 62 वर्ष, अकेले रहने वाले व्यक्ति, ने भारत और ब्राज़ील में वर्ष 2020-21 में उनके द्वारा अर्जित आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है। भारत का ब्राज़ील के साथ दोहरा कराधान परिहार समझौता नहीं है।

क्र. सं.	व्यौरा	राशि (रु.)
----------	--------	------------

1.	भारत में सकल वेतन	4,50,000
2.	ब्राजील में प्राप्त व्यावसायिक आय	5,80,000
3.	ब्राजील में लाभांश से आय	88,000
4.	ब्राजील स्थित घर से मिलने वाला किराया	1,80,000
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा, पुणे शाखा में किए गए एफडीआर से ब्याज आय	62,000
6.	आवासीय संपत्ति, जिसमें वे और उनका परिवार रहता है, के लिए पंजाब नेशनल बैंक, पुणे शाखा से आवास ऋण पर किए गए ब्याज का भुगतान	2,00,000
7.	सार्वजनिक भविष्य निधि में निवेश	1,50,000
8.	स्वयं के लिए दिए गए चिकित्सा बीमा का प्रीमियम	32,000

मान लीजिए कि ब्राजील में कर दर 16% है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री अनुल तलपड़े की कुल आय और कर देयता की गणना करें, यह मानते हुए कि उन्होंने सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए धारा 115बीएसी का विकल्प चुना है। (6 अंक)

उत्तर

- (क) धारा 115टीडी के अनुसार, धारा 12ए के तहत पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट रामनारायण फाउंडेशन ट्रस्ट की अर्जित आय पर, विघटन होने पर, विघटन माह के समाप्त होने के 12 माह के भीतर धारा 12ए के तहत पंजीकृत किसी अन्य ट्रस्ट को परिसंपत्ति न देने के कारण 34.944% की दर से कर लगाया जाएगा [30% के साथ 12% की दर से सरचार्ज और 4% का उपकर]।

विघटन पर रामनारायण फाउंडेशन ट्रस्ट की अर्जित आय और कर देयता की गणना

व्यौरा	राशि (₹)
29.12.2019 को कुल संपत्ति का सकल एफएमवी, निर्दिष्ट तिथि (विघटन की तिथि) [वर्किंग नोट 1 देखें]	61,12,500
घटाएं: मूल्यांकन की निर्धारित पद्धति के अनुसार गणना की गई कुल देयता [वर्किंग नोट 2 देखें]	<u>9,00,000</u>
अर्जित आय	52,12,500
घटाएं: विघटन माह के अंत से 12 माह की अवधि के भीतर वितरित संपत्ति का मूल्य	<u>8,00,000</u>
	44,12,500
44,12,500 ₹. पर 34.944% की दर से कर देयता	15,41,904
कर देयता (पूर्णांक)	15,41,900
वर्किंग नोट्स:	
(1) विघटन की तिथि पर कुल संपत्ति का सकल एफएमवी	
- भूमि और भवन, 29.12.2019 पर एफएमवी, निर्धारित तिथि होने के नाते, विचार किया जाना चाहिए और भूमि एवं भवन के मूल्य का एक-चौथाई हिस्सा अनदेखा किया जाना चाहिए क्योंकि कृषि आय से प्राप्त होने पर	37,50,000

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

धारा 10(1) के तहत छूट मिलती है [50 लाख रु. x 3/4]	
- इक्विटी शेयर- उद्धृत [विघटन की तिथि पर बाजार मूल्य] ³	18,00,000
- इक्विटी शेयर- जेड लिमि. में गैर- उद्धृत [चूंकि ट्रस्ट का पंजीकरण 1.4.2010 को किया गया था और धारा 11 और 12 के तहत मिलने वाले लाभ ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 2011-12 से मिल सकते थे, पिछले वर्ष 2010-11 के प्रासंगिक है, पिछले वर्ष 2007-08 में खरीदे गए गैर- उद्धृत शेयरों का 50% मूल्य, जिसके संबंध में धारा 11 और 12 के तहत लाभ की अनुमति नहीं थी, अर्जित आय की गणना में इन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए]	4,12,500
गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्य = 4,12,500 रु. [8,25,000 रु. का 50% (जेड लिमि. की संपत्तियों का अंकित मूल्य (बुलियन, गहनों के अलावा) यानि 60,00,000 रु. + जेड लिमि. के बुलियन और गहनों का बाजार मूल्य यानि 30,00,000 रु. - 35,00,000 रु की देयता x शेयरों का चुकता मूल्य यानि 1,50,000 रु.⁴ जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है, प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की कुल राशि 10,00,000 रु.]]	
- नकद	1,00,000
- बैंक शेष	50,000
	61,12,500
(2) कुल देयता	
- 6,00,000 रु. का कॉर्पस फंड [शामिल नहीं किया जाएगा]	शून्य
- आरक्षित निधि और अधिशेष 3,00,000 रु. [शामिल नहीं किया जाएगा]	शून्य
- भूमि और भवन की खरीद के लिए लिया गया ऋण	9,00,000
- गैर- उद्धृत शेयरों की खरीद के लिए लिया गया ऋण [चूंकि पूरा ऋण वर्ष 2007-08 में अर्जित गैर-उद्धृत शेयरों के संबंध में है, जब ट्रस्ट धारा 11 और 12 के तहत छूट लेने का पात्र नहीं था, इसलिए इसे घटाया नहीं जाएगा]	शून्य
	9,00,000

(ख) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री अनिल तलपड़े की कुल आय की गणना

व्यौरा	रु.	रु.
वेतन से आय [मानक कटौती स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह धारा		4,50,000

³ विघटन पर उद्धृत शेयरों की न्यूनतम और उच्चतम कीमत के बारे में जानकारी के अभाव में ऐसे शेयरों के बाजार मूल्य, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, पर विचार किया जाता है।

⁴ ऐसे शेयरों के चुकता मूल्य के न होने पर, बैलेंस शीट में दर्शाए गए मूल्य पर विचार किया जाता है।

पेपर – 7 : प्रत्यक्ष कर कानून और अंतरराष्ट्रीय कराधान
(PAPER – 7 : DIRECT TAX LAWS & INTERNATIONAL TAXATION)

15

115बीएसी का विकल्प लेते हैं]		
मकान से आय		
भारत में स्व-अधिकृत संपत्ति का वार्षिक मूल्य	शून्य	
घटाएँ: आवास ऋण पर ब्याज [अनुमति नहीं है क्योंकि वे धारा 115बीएसी का विकल्प लेते हैं]	<u>Nil</u>	
	Nil	
ब्राजील में घर का वार्षिक मूल्य [ब्राजील में संपत्ति से किराया आय]	1,80,000	
घटाएँ: धारा 24(ए) के तहत 30% की दर से कटौती (किराए पर दी गई संपत्ति के संबंध में स्वीकार्य)	<u>54,000</u>	1,26,000
व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफा		
ब्राजील से व्यावसायिक आय		5,80,000
अन्य स्रोतों से आय		
ब्राजील से लाभांश		88,000
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एफडीआर पर ब्याज		<u>62,000</u>
सकल कुल आय		13,06,000
घटाएँ: पीपीएफ में निवेश के संबंध में 80सी के तहत कटौती और चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में धारा 80डी के तहत कटौती [इन धाराओं के तहत किसी प्रकार की कटौती स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने धारा 115बीएसी का विकल्प लिया है।]		शून्य
कुल आय		<u>13,06,000</u>

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री अनिल तलपड़े की कर देयता

ब्यौरा	राशि (रु.)
2,50,000 रु. तक	शून्य
2,50,001 रु. – 5,00,000 रु. [यानि 2,50,000, पर 5%]	12,500
5,00,001 रु. – 7,50,000 रु. [यानि 2,50,000, पर 10%]	25,000
7,50,001 रु. – 10,00,000 रु. [यानि 2,50,000 पर 15%]	37,500
10,00,001 रु. – 12,50,000 रु. [यानि 2,50,000 पर 20%]	50,000
12,50,001 रु. – 13,06,000 रु. [यानि 56,000 पर 25%]	<u>14,000</u>
	139,000
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, 4%	5,560
	1,44,560
घटाएँ: धारा 91 के तहत कटौती	

⁵ उचित किराए, नगरपालिका मूल्य और मानक किराए से संबंधित किसी भी जानकारी के अभाव में किराया से होने वाली आय को जीएवी माना जाता है।

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

भारत में औसत कर दर= 1,44,560 रु. x 100/ 13,06,000 रु. = 11.0689%	
ब्राजील में कर दर= 16%	
दोहरी कर आय= 1,26,000 रु.+ 5,80,000 रु.+ 88,000 रु.= 7,94,000 रु.	
कर की भारतीय दर ब्राजील कर की दर से कम है- 11.0689%, जिसे 7,94,000 रु. की दोहरी कर आय पर लगाया जाना है [11.0689% x 7,94,000 रु.]	87,887
देय कर	56,673
देय कर (पूर्णांक)	56,670

प्रश्न 4

- (क) (i) श्री जेड, निवासी, ने यूनीक टी-शर्ट्स की बिक्री के लिए 01-11-2020 को नया व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपने नाम से वैध पैन कार्ड बनवाया और स्वयं को भारत में अपने उत्पादों को बेचने के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर ABC.com (सिंगापुर स्थित बेवसाइट), पर अपना पंजीकरण कराया। श्री जेड ने 31-03-2021 तक ABC.com के माध्यम से 60 लाख रु. का माल बेच चुके थे। ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने समय-समय को श्री जेड को दिए जाने वाले निम्नलिखित भुगतानों की प्रविष्टि अपने बहीखाते में की।

31-12-2020 20 लाख रु.

28-02-2021 15 लाख रु.

ABC.com द्वारा कुल बिक्री आय पर 10% कमिशन लेने के बाद 31-03-2021 को श्री जेड को पूर्ण और अंतिम भुगतान किया गया।

श्री जेड ने उपरोक्त 60 लाख रु. में से 10,00,000 रु. सीधे-सीधे अपने बैंक खाते में पाए, इस राशि का भुगतान ABC.com ने पेटीएम वॉलेट के माध्यम से किया था जो श्री जेड के खाते से जुड़ा था।

उपरोक्त लेनदेन पर लागू टीडीएस प्रावधानों के साथ-साथ कर कटौती की तिथि और राशि पर चर्चा करें। **(4 अंक)**

- (ii) राघव मोटर्स लिमि., लुधियाना, फोर्ड और मारुति की कारों का डीलर है और सर्विस स्टेशन भी चलाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राघव मोटर्स लिमि. की कारों की बिक्री 9.80 करोड़ रु. की है। वित्त वर्ष 2019-20 में स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और सर्विस स्टेशन से 60 लाख रु. का कारोबार हुआ।

वित्त वर्ष 2020-21 में व्यवसाय के उद्देश्य के लिए कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मेसर्स ओम लिमि. ने राघव मोटर्स लिमि. से निम्नलिखित कारें खरीदीं:

कार का मॉडल	चालान तिथि	कार का मूल्य लाख रु. में
मारुति	14-07-2020	37 लाख
मारुति	12-08-2020	19 लाख
फोर्ड	18-10-2020	8 लाख
मारुति	05-11-2020	12 लाख

प्रत्येक चालान का भुगतान उसकी तिथि पर ही कर दिया गया था।

पेपर – 7 : प्रत्यक्ष कर कानून और अंतरराष्ट्रीय कराधान
(PAPER – 7 : DIRECT TAX LAWS & INTERNATIONAL TAXATION)

17

आपको धारा 206सी के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार राघव मोटर्स लिमि. द्वारा ली जाने वाली टीसीएस राशि, यदि कुछ हो, की गणना करनी है। (4 अंक)

(ख) निम्नलिखित आंकड़े अप्रवासी और भारतीय मूल के श्री आशीष ने 31-3-2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए दिया है:

व्यौरा	राशि (₹)
31-05-2020 को निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (परिकलित)	8,50,000
इस प्रकार के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य रूस से किया गया खर्च (उपर विचार नहीं किया गया है)	30,000
प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास जमा राशि पर ब्याज	2,93,000
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,00,000
धारा 111ए के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से आय	2,00,000
30-3-2021 को केंद्र सरकार के अधिसूचित बचत प्रमाणपत्रों में निवेश	1,50,000
31-12-2021 को इंडियन पब्लिक लिमि. कंपनियों के शेयरों में निवेश	1,80,000
स्रोत पर कर कटौती	1,55,000

अप्रवासियों के लिए लागू विशेष प्रावधानों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए देय शेष करा रिफंड की गणना करें। (6 अंक)

उत्तर

- (a) (i) धारा 194-O के अनुसार, ई- कॉमर्स ऑपरेटर ABC.com, को ई- कॉमर्स प्रतिभागी निवासी श्री जेड द्वारा वस्तुओं (वर्तमान मामले में टी-शर्ट्स) की बिक्री की कुल राशि पर 0.75% की दर से कर काटना चाहिए क्योंकि वस्तुओं की बिक्री की ऐसी सुविधा ABC.com अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान कर रहा है।

ABC.com को ऐसी राशि या भुगतान, जो भी पहले हो, के क्रेडिट के समय कर कटौती करनी होगी। ABC.com द्वारा दी जाने वाली सुविधा पर यदि वस्तुओं की बिक्री से श्री जेड को किसी भी प्रकार का भुगतान सीधे प्राप्त होता है तो ऐसे भुगतान को ABC.com से श्री जेड को किया गया भुगतान माना जाएगा।

तदनुसार, ABC.com को क्रमशः दिनांक 31.12.2020 और 28.02.2021 को 15,000 ₹. (0.75% x 20,00,000 ₹.) और 11,250 ₹. (0.75% x 15,00,000 ₹.) क्रमशः, की कर कटौती करने की आवश्यकता है, वह तिथि जिस पर ABC.com के बहीखातों में धनराशि डाली गई, क्योंकि, इन दो मामलों में, जमा करने की तिथि भुगतान करने की तिथि से पहले है।

ABC.com को 7,500 ₹. (श्री जेड द्वारा सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त राशि 10,00,000 ₹. का 0.75%) का कर लेने की भी आवश्यकता है।

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

31.3.2021 को, ABC.com को 11,250 रु. (15,00,000 रु. का 0.75%) का कर लेने की आवश्यकता है, 31.3.2021 को किए गए पूर्ण और अंतिम भुगतान राशि होने के नाते।

- (ii) धारा 206 सी(1एफ) के अनुसार, राघव मोटर्स लिमि., विक्रेता, को, खरीददार मेसर्स ओम लिमि. से प्राप्त बिक्री प्रतिफल पर, 10 लाख रु. से अधिक मूल्य के मोटर वाहन की बिक्री पर, स्रोत पर 1% की दर से कर लेना होगा (0.75%, 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए)। तदनुसार, राघव मोटर्स लिमि. को निम्नलिखित तिथियों पर धारा 206सी(1एफ) के तहत स्रोत पर कर लेना होगा-

- 14.7.2020 को 27,750 रु. [37,00,000 रु. पर 0.75%]

- 12.8.2020 को 14,250 रु. [19,00,000 रु. पर 0.75%]

- 5.11.2020 को 9,000 रु. [12,00,000 रु. पर 0.75%]

टीसीएस की कुल राशि 51,000 रु. है।

उपरोक्त उल्लिखित तीनों मामलों में, भुगतान मारुति कारों की बिक्री की तिथि पर प्राप्त हुआ था इसलिए, उपर उल्लिखित बिक्री की संबंधित तिथियों पर कर लिया जाना है।

फोर्ड कार के संबंध में, जिसा मूल्य 8,00,000 रु. है, धारा 206सी(1एफ) के तहत कर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मूल्य 10,00,000 रु. से अधिक नहीं है।

इसके अलावा, फोर्ड कार के संबंध में 8 लाख रु. के बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में, दो मत हैं, कि क्या धारा 206सी(1एच) के तहत टीसीएस प्रावधान मान्य होंगे या नहीं।

चूंकि 18.10.2020 को फोर्ड कार के संबंध में 8 लाख रु. की बिक्री पर प्रतिफल, ओम लिमि. से मिलने वाली एकमात्र पावती है, जिसे धारा 206सी(1एफ) के तहत टीसीएस के दायरे से बाहर रखा गया है और यह पावती 50 लाख रु. की वार्षिक सीमा से अधिक नहीं है, इसलिए इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि धारा 206सी(1एच) के तहत स्रोत पर कोई कर लेने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 206सी(1एच) के तहत टीसीएस के संबंध में वैकल्पिक दृष्टिकोण

चूंकि सभी वाहनों के लिए बिक्री प्रतिफल की पावती (मारुति कारों की बिक्री के प्रतिफल समेत, जिसके संबंध में धारा 206सी(1एफ) के तहत टीसीएस लिया जाता है) पिछले वर्ष 2020-21 में 50 लाख रु. से अधिक थी और राघव मोटर्स लिमि. द्वारा किए जा रहे व्यापार में कुल बिक्री वित्त वर्ष 2019-20 में 10 करोड़ रु. से अधिक (10.20 करोड़ रु. यानि 9.80 करोड़ + 0.60 करोड़ रु.) थी, इसलिए, एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि प्रतिफल की प्राप्ति यानि 18.10.2020 को धारा 206सी(1एच) के तहत 8 लाख रु. पर 0.075% की दर से 600 रु. का कर लिया जा सकता है।

ऐसे मामले में, टीसीएस देयता होगी— 51,000 रु. + 600 रु. = 51,600 रु.

- (ख) अनिवासियों पर लागू विशेष प्रावधानों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अनिवासी श्री आशीष द्वारा देय कर की गणना

ब्यौरा	रु.
--------	-----

पूँजीगत लाभ		
निर्दिष्ट संपत्ति के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ	8,50,000 रु.	
घटाएं: इस प्रकार के हस्तांतरण संबंधी खर्च	<u>30,000 रु.</u>	
	8,20,000 रु.	
घटाएं: भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयरों में निवेश [धारा 115एफ के तहत कटौती स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निवेश हस्तांतरण की तिथि से 6 माह बाद किया गया है]	<u>शून्य</u>	
कर योग्य एलटीसीजी	8,20,000 रु.	
धारा 111ए के तहत अल्प-कालिक पूँजीगत लाभ	<u>2,00,000 रु.</u>	
		10,20,000
अन्य स्रोतों से आय		
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास जमा राशि पर ब्याज [प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास जमा विदेशी मुद्रा संपत्ति नहीं है इसलिए सामान्य कर दरों के अधीन कर योग्य है]		2,93,000
- सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज [निवेश से आय, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां विदेशी मुद्रा संपत्ति होती हैं, यह मानते हुए कि उन्हें विदेशी मुद्रा में अर्जित किया गया था]	<u>1,00,000</u>	
		14,13,000
सकल कुल आय		
घटाएं: एनएससी ⁶ के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती	<u>1,50,000</u>	
कुल आय		12,63,000
ब्यौरा		रु.
देय/ वापसी योग्य कर की गणना		
8,20,000 रु. का एलटीसीजी 10% की दर से कर योग्य [8,20,000 रु. का 10%]		82,000
2,00,000 रु. का एसटीसीजी [15% की दर से कर योग्य]		30,000
,सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज [निवेश आय] [1,00,000 रु. का 20%]		20,000
प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास जमा राशि पर ब्याज 1,43,000 रु.		

⁶ प्रश्न में संदर्भित "अधिसूचित बचत पत्र" एनएससी VII इश्यू को संदर्भित करता है, चूंकि, वर्तमान में, सदस्यता केवल एनएससी VIII इश्यू में ही की जा सकती है। ध्यान दें कि केवल निवासी नागरिकों को ही ऐसे इश्यू की सदस्यता लेने की अनुमति है। हालांकि, प्रश्न में कहा गया है कि श्री आशीष ने अधिसूचित बचत पत्र में निवेश किया है, हालांकि, अनिवासी होने के नाते, वे ऐसा नहीं कर सकते। उपरोक्त समाधान प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर दिया गया है यानि श्री आशीष ने एनएससी में निवेश किया है। प्रश्न का उत्तर ऐसे भी दिया जा सकता है कि श्री आशीष अनिवासी होने के कारण एनएससी VIII इश्यू की सदस्यता लेने के पात्र नहीं हैं और इसलिए धारा 80सी के तहत कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता।

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

[2,93,000 रु. – 1,50,000 रु.], जो कि 2,50,000 रु. की मूल छूट सीमा से कम है	शून्य
जोड़े: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, 4%	1,32,000
कर देयता	5,280
घटाएं: टीडीएस	1,37,280
वापसी योग्य कर	1,55,000
	17,720

वैकल्पिक उत्तर

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अनिवासियों पर लागू विशेष प्रावधानों के अनुसार अनिवासी श्री आशीष द्वारा देय कर की गणना

ब्यौरा	रु.
पूंजीगत लाभ	
निर्दिष्ट संपत्तियों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ	8,50,000 रु.
घटाएं: इस प्रकार के हस्तांतरण के संबंध में किया गया खर्च	30,000 रु.
	8,20,000 रु.
घटाएं: भारतीय पब्लिक लिमि. कंपनियों के शेयरों में निवेश [धारा 115एफ के तहत कटौती स्वीकार्य नहीं है चूंकि निवेश हस्तांतरण की तिथि से छह महीने के बाद किया गया है]	शून्य
धारा 111ए के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ	8,20,000
अन्य स्रोतों से आय	
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जमा राशि पर ब्याज [प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जमा राशि विदेशी मुद्रा संपत्ति नहीं हैं इसलिए कर की सामान्य दरों पर कर योग्य हैं]	2,93,000
- सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज [निवेश आय के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां नहीं हैं, यह मानते हुए कि उन्हें विदेशी मुद्रा में अर्जित नहीं किया गया था]	1,00,000
सकल कुल आय	14,13,000
घटाएं: एनएससी के संबंध में धारा 80सी के तहत कटौती	1,50,000
कुल आय	12,63,000
ब्यौरा	रु.
देय/ वापसी योग्य कर की गणना	
8,20,000 रु. का एलटीसीजी 10% की दर से कर योग्य [8,20,000 रु. का 10%]	82,000
2,00,000 रु. का एसटीसीजी [15% की दर से कर योग्य]	30,000
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज पर कर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में किए गए	

जमा पर ब्याज 2,43,000 रु. [3,93,000 रु. – 1,50,000 रु.], यह मूल छूट की 2,50,000 रु. की सीमा से कम है।	शून्य
जोड़े: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, 4% की दर से	1,12,000
कर देयता	4,480
घटाएँ: टीडीएस	1,16,480
वापसी योग्य कर	1,55,000
	38,520

प्रश्न 5

(क) आपके उत्तर में इन पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

- शामिल मुद्दे
- लागू प्रावधान
- विश्लेषण और
- निष्कर्ष

(i) निखिल नाम के एक व्यक्ति ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया और बताया कि उसे शेयरों की बिक्री पर 80,000 रु. का अल्प कालिक पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ जिस पर उसने 15% की दर से कर का भुगतान किया। निर्धारण अधिकारी ने आय की विवरणी को स्वीकार करते हुए धारा 143(1) के तहत प्रजापन जारी किया लेकिन इस प्रकार की आय पर 30% की दर से कर लगाया। निर्धारिती ने धारा 154 के तहत आवेदन किया जिसमें दावा किया कि उसने गलती से शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ को दीर्घ कालिक पूंजीगत लाभ की बजाए अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से होने वाली आय पर लगने वाला कर दिया, एसटीटी का भुगतान किया जा चुका है जो कर मुक्त है। निर्धारण अधिकारी ने 15% की दर से कर की गणना कर कुछ सीमा तक राहत की अनुमति देते हुए सुधार आदेश पारित किया लेकिन इस आधार पर कर वापसी की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि इसका दावा दिए गए आय की विवरणी में नहीं किया गया था और मामला धारा 154 के दायरे के बाहर का है। इसके बाद निर्धारिती ने धारा 264 के तहत एक संशोधन याचिका प्रस्तुत की, जिसे आयकर आयुक्त ने इस दलील पर खारिज कर दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 154 का दायरा सीमित था और इसे आय की वापसी पर सख्ती से आधारित होना था और कि धारा 143(1) के तहत सूचना आदेश नहीं था और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार हेतु निर्धारणीय नहीं है। क्या सीआईटी द्वारा धारा 264 के तहत संशोधन याचिका की अस्वीकृति वैध है? (4 अंक)

(या)

निर्धारिती कंपनी मेसर्स करिश्मा ट्रांसपोर्ट सर्विसेस ने 10 करोड़ रु. से अधिक के वार्षिक अनुबंध हेतु भारत में विभिन्न स्थानों पर सीमेंट पहुंचाने के लिए सीमेंट कंपनी के साथ अनुबंध किया। चूंकि निर्धारिती के पास स्वयं के परिवहन वाहन नहीं थे, इसलिए उसने उक्त उद्देश्य हेतु अन्य ट्रांसपोर्टों की सेवाएं लीं। स्रोत पर कर की कटौती के बाद सीमेंट कंपनी ने निर्धारिती को

परिवहन शुल्क के भुगतान को प्रभावित किया। अपने आय कर रिटर्न में, निर्धारिती ने परिवहन अनुबंधों के व्यवसाय से होने वाली आय को दर्शाया। ट्रक के संचालकों या मालिकों को भुगतान करते समय, निर्धारिती ने स्रोत पर कर की कटौती नहीं की। कर की कटौती नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने खर्च के 30% को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक है। क्या निर्धारण अधिकारी का तर्क वैध है? (4 अंक)

- (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की एक योजना को मंजूरी दी गई थी जिसके अनुसार निर्धारिती कंपनी ने मॉरिशस में अपने एकमात्र शेयरधारक और होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित कुल 900 करोड़ रु. के प्रतिफल के लिए 18,000 रु. प्रति शेयर की दर से 5,00,000 शेयरों को वापस खरीदा।

अपने आयकर रिटर्न में, उसने लेनदेन का विवरण घोषित किया लेकिन कथित लेनदेन पर किसी भी प्रकार के कर भुगतान देयता से इनकार किया। धारा 143(2) के तहत नोटिस के अनुसार, एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्धारिती के इस तर्क को खारिज कर दिया गया था कि लेनदेन धारा 115क्यूए के संदर्भ में बायबैक नहीं थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार बायबैक थी, और निर्धारिती 900 करोड़ रु. की आय पर 20% कू दर से कर का भुगतान करने का उत्तरदायी था।

निर्धारिती ने मूल्यांकन आदेश के इस अंश के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। विभाग ने कहा कि चूंकि निर्धारिती के लिए अपील का विकल्प खुला था, रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, कृपया चर्चा करें कि क्या निर्धारिती कंपनी ने रिट याचिका दायर कर उचित किया था? (4 अंक)

- (ख) मेसर्स एक्सवाईजेड डॉट कॉम (M/s. XYZ.com), ई-कॉमर्स ऑपरेटर, चीन में निगमित है और भारत में इसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है। भारत में इसका कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

(क) इसने भारत के लोगों को 1.20 करोड़ रु. का सामान बेचा।

(ख) ऑनलाइन विज्ञापन की बिक्री के माध्यम से भारतीयों को सेवाएं प्रदान की जिसमें वित्त वर्ष के दौरान बिल की राशि (या बिलों की कुल राशि) सेवा प्राप्तकर्ता के लिए 1 लाख रु. प्रति प्राप्तकर्ता से अधिक न हो (सभी बिलों की कुल राशि 70 लाख रु. है)।

(ग) अनिवासियों को ऑनलाइन विज्ञापन की बिक्री के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जिसका लक्ष्य भारत के निवासी हैं, 20 लाख रु. थी।

उपरोक्त आंकड़े वित्त वर्ष 2020-2021 के हैं। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए XYZ.com पर समकारी कर के प्रभावों की चर्चा करें। (6 अंक)

उत्तर

- (क) (i) [पहला विकल्प]

शामिल मुद्दे: विचाराधीन मामले को क्या धारा 143(1) के तहत सूचना आदेश माना जा सकता है, जिसे आयुक्त द्वारा धारा 264 के तहत संशोधित किया जा सकता है।

लागू प्रावधान: धारा 264 के अनुसार, आयुक्त धारा 263 लागू होने वाले आदेश के अलावा किसी भी आदेश को संशोधित कर सकते हैं।

विश्लेषण: चूंकि धारा 264 में "किसी भी आदेश" शब्द का उपयोग किया गया है, इसका अर्थ यह होगा कि विभाग अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए अधिकारों को सीमित नहीं करता है लेकिन इनका प्रयोग तब कर सकता है जब गलतियां निर्धारितियों द्वारा की जाएं। यह उन स्थितियों को भी कवर करेगा जहां एक गलती के कारण निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल करने के समय वैध दावा न किया हो और बाद में गलती का पता चला हो और धारा 264 के तहत आवेदन में गलती के बारे में बताया गया हो।

धारा 143(1) के तहत सूचना को धारा 264 के प्रयोजनों के लिए आदेश माना जाना है।

⁷कर निर्धारण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह कराधान के मामले में निर्धारिती की मदद और सहायता करे एवं निर्धारिती को परामर्श दे, उसका मार्गदर्शन करे एवं निर्धारिती या उसकी अज्ञानता द्वारा की गई गलती का लाभ न उठाए।

निष्कर्ष: तदनुसार, आयुक्त को केवल यह जांचने की बजाए कि क्या उस समय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सूचना सही थी, सीबीडीटी परिपत्र⁸ के आलोक में सामग्री की जांच करनी चाहिए थी। इसलिए पुनरीक्षण याचिका को खारिज करना वैध नहीं है।

(क) (i) [दूसरा विकल्प]

शामिल मामला: इस मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या निर्धारिती- कंपनी, मेसर्स करिश्मा ट्रांसपोर्ट सर्विसेस, ट्रक संचालकों/ मालिकों को भुगतान के संबंध में धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है, जहां भुगतान सीमा से अधिक किया गया है, उस मामले में जहां निर्धारिती कंपनी ने सीमेंट कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के निष्पादन हेतु ट्रक के मालिकों की सेवाओं का उपयोग किया है।

लागू प्रावधान: धारा 194सी के तहत ऐसे निवासी ठेकेदारों/ उप-ठेकेदारों को किए गए भुगतान के मामले में स्रोत पर कर की कटौती की जानी आवश्यक है जहां व्यक्तिगत भुगतान 30,000 रु. से अधिक हो या जहां वर्ष के दौरान निवासियों को किया गया कुल भुगतान 1 लाख रु. से अधिक हो।

जहां स्रोत पर कटौती के लिए आवश्यक कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद, निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, वहां धारा 40(ए)(आईए) के तहत निवासियों को किए गए भुगतान के 30% पर रोक लगा दिया जाएगा।

विश्लेषण: निर्धारिती कंपनी द्वारा सीमेंट कंपनी के साथ किए गए अनुबंध की प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि कंपनी के सीमेंट के परिवहन की जिम्मेदारी निर्धारिती कंपनी की थी; और परिवहन का कार्य कैसे पूरा किया जाएगा, यह मामला विशेष रूप से निर्धारिती कंपनी के अधिकार क्षेत्र का था।

⁷ सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार

⁸ 1955 का परिपत्र सं. 14(एक्सएल-35), दिनांक 11 अप्रैल 1955 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265

जब कोई ट्रक निर्धारिती कंपनी द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन उद्देश्य से काम पर रखा जाता है और कार्य के निष्पादन यानि माल का परिवहन, पर माल ढुलाई शुल्क उसके संचालन या मालिक को देय होता है तो अनुबंध की सभी शर्तें लागू होती हैं; और ट्रक संचालक या मालिक उप-ठेकेदार बन जाता है।

इस मामले में, निर्धारिती कंपनी सीमेंट कंपनी और ट्रक संचालकों या मालिकों के बीच सुविधाप्रदाता या मध्यस्थ के रूप में काम नहीं कर रही थी क्योंकि उन दोनों पक्षों के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी। अपने माल के परिवहन के लिए कंपनी का अनुबंध केवल निर्धारिती कंपनी के साथ था और यह निर्धारिती कंपनी थी जिसने ट्रकों की सेवाओं को किराए पर लिया था। निर्धारिती कंपनी द्वारा ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को किया गया भुगतान स्पष्ट रूप से उप-ठेकेदार को किया गया भुगतान था।

इसलिए, धारा 194 सी लागू थी और निर्धारिती कंपनी माल के परिवहन के अपने व्यावसायिक उद्देश्य हेतु वाहनों को किराए पर लेने के लिए ट्रक संचालकों या मालिकों को किए गए भुगतान के संबंध में स्रोत पर कर कटौती करने को बाध्य थी, यदि भुगतान 30,000/ रु. की व्यक्तिगत सीमा या 1 लाख रु. की कुल सीमा से अधिक का किया जा रहा हो।

निष्कर्ष: कर की कटौती न करने पर, चूंकि यह सीमा से अधिक हो गया था, खर्च का 30% अस्वीकार करने की निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई, उचित है।

ध्यान दें – प्रश्न में दिए गए तथ्य श्री चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम आईटीओ [2020] 426 आईटीआर 0289, में दिए गए तथ्यों के समान हैं, जिसमें यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया था। उपरोक्त उत्तर उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तर्क पर आधारित है।

ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 194 सी के अनुसार ऐसे ठेकेदार/ उप-ठेकेदार को किए जाने वाले परिवहन शुल्क के भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती नहीं जाएगी जिसके पास पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान कभी भी दस या दस से कम माल वाहक वाहन हों और जिन्होंने अपने पैन के साथ इससे संबंधित घोषणा पत्र दिया हो। यदि ट्रांसपोर्टर धारा 194 सी के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई अनुचित होगी।

- (ii) **शामिल मामले:** इस मामले में विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या धारा 115क्यूए के तहत कर का भुगतान करने की देयता से इनकार अपीलीय मुद्दा है।

[ध्यान दें – इस मामले में शामिल मुद्दे में यह भी कहा जा सकता है कि क्या निर्धारिती ने रिट याचिका दायर कर सही किया है]

लागू प्रावधान: जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होता है तो करदाता उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकारी की मांग नहीं कर सकता।

धारा 246ए के अनुसार, कोई भी निर्धारिती, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आदेशों में से किसी के खिलाफ, आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सकता है:

- (i) निर्धारिती के खिलाफ आदेश जहां निर्धारिती इस अधिनियम के तहत अपने दायित्व का आकलन करने से इनकार करता है, या

- (ii) धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन संबंधी कोई भी आदेश जहां निर्धारिती निर्धारित आय की राशि/ निर्धारित कर/ हानि की गणना, जैसा भी मामला हो, पर आपत्ति करता है।

धारा 115क्यूए में प्रावधान है कि जहां शेयर उस कीमत से अधिक कीमत पर वापस खरीदे जाते हैं जिस पर वे शेयर जारी किए गए थे, तो शेष राशि को शेयरधारक को आय का वितरण माना जाएगा और कंपनी द्वारा 20% की दर से कर देय होगा।

विश्लेषण: वाक्यांश "आकलन के अपने दायित्व से इनकार करता है" प्रत्येक मामले में अपने दायरे में शामिल करने हेतु बहुत व्यापक है जहां निर्धारिती अधिनियम के तहत मूल्यांकन किए जाने के लिए अपने दायित्व से इनकार करता है। इसलिए धारा 115 क्यूए के तहत किया गया कोई भी निर्धारण, चाहे वह दायित्व की मात्रा के संबंध में हो या इस प्रश्न के कि कंपनी उत्तरदायी है या नहीं, "निर्धारिती के खिलाफ आदेश, जहां निर्धारिती इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन के अपने दायित्व से इनकार करता है" के दायरे में आती है।

तदनुसार, धारा 115क्यूए के तहत दायित्व के निर्धारण के खिलाफ धारा 246ए के तहत आयुक्त (अपील) को अपील की जा सकती है।

निष्कर्ष: तदनुसार, निर्धारिती को रिट याचिका दायर करने की बजाए आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करनी चाहिए थी। रिट याचिका दायर करने की निर्धारिती की कार्यवाई उचित नहीं है।

- (ख) (1) ई- कॉमर्स संचालक द्वारा ई-कॉमर्स आपूर्ति या उसके द्वारा अन्य के साथ- साथ नीचे उल्लिखित लोगों को दी जाने वाली सेवाओं या दी गई सेवाओं द्वारा प्राप्य या प्राप्त होने वाली धनराशि पर 2% की दर से समकारी कर देना होता है-

- भारत में रहने वाले व्यक्ति को; या

- विशिष्ट परिस्थितियों में अनिवासी को, जिसमें भारत में रहने वाले उपभोक्ता को लक्षित करने वाले विज्ञापनों की बिक्री शामिल है।

XYZ.com एक ई-कॉमर्स संचालक है क्योंकि यह एक अनिवासी है जो वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा का प्रयोग करता है।

- (2) 2% की दर से समकारी कर नहीं लगाया जाएगा यदि-

(i) XYZ.com का भारत में पीई हो; या

(ii) भारत में रहने वाले सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हें दी गई ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं के संबंध में 6% की दर से समकारी कर कटौती योग्य है; या

(iii) वर्तमान पिछले वर्ष यानि 2020-21 में कर योग्य ई- कॉमर्स आपूर्तियों या सेवाओं से XYZ.com की बिक्री/ कारोबार/ सकल प्राप्तियां 2 करोड़ रु. से कम है।

- (3) इस मामले में, 2% की दर से समकारी कर लगाया जाएगा क्योंकि -

(i) XYZ.com का भारत में पीई नहीं है।

(ii) विज्ञान सेवा के प्रत्येक प्राप्तकर्ता (भारत में रहने वाले व्यक्ति होने के नाते) के लिए बिलिंग की राशि (या बिलिंग की कुल राशि) 1 लाख रु. से अधिक नहीं है। परिणामस्वरूप, उनके लिए 6% की दर से समकारी लेवी कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है।

फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

- (iii) वर्तमान पिछले वर्ष यानि 2020-21 में कर योग्य ई-कॉमर्स आपूर्तियों या सेवाओं से XYZ.com की बिक्री/ कारोबार/ सकल प्राप्तियां 2 करोड़ रु. से अधिक है (वर्किंग नीचे दिया गया है)
- (4) **कर योग्य ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं का मूल्य**

व्यौरा	रु.
(क) निवासियों को माल की ई-कॉमर्स आपूर्ति	1,20,00,000
(ख) निवासियों को ई-कॉमर्स सेवाएं (XYZ.com पर 2% की दर से समकारी कर लगाया जाएगा क्योंकि बिल/ कुल बिल राशि के 1 लाख रु. से कम होने के कारण सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा 6% क? दर से समकारी कर नहीं काटा गया है)	70,00,000
(ग) भारतीय ग्राहकों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों की बिक्री के माध्यम से अनिवासियों को ई-कॉमर्स सेवाएं	20,00,000
कर योग्य ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाएं	2,10,00,000
2% की दर से समकारी कर	4,20,000

प्रश्न 6

(क) मेसर्स हाईवे ड्राइव लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स हाईवे रोड्स लिमिटेड को शामिल किया। इसका मुख्य व्यवसाय बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को तैयार करना है जो धारा 80-आईए के तहत कटौती योग्य है। तदनुसार कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए धारा 80-आईए के तहत कटौती का दावा किया है।

- (i) हाईवे रोड्स लिमिटेड को बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास से होने वाली आय के अलावा भी आय होती है और इस प्रकार की आय को विकासशील बुनियादी ढांचा सुविधाओं से होने वाले आय के रूप में दिखाती है, इस प्रकार धारा 80-आईए के तहत लाभ उठा रही है।
- (ii) हाईवे रोड्स लिमिटेड बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए मेसर्स हाईवे ड्राइव लिमिटेड से आपूर्तियों की खरीद उचित मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर करती है, इस प्रकार मेसर्स हाईवे ड्राइव लिमिटेड की आय को मेसर्स हाईवे रोड्स लिमिटेड में हस्तांतरित कर देती है और धारा 80-आईए के तहत इस प्रकार की आय पर लाभ उठाती है।

क्या उपर बताए गए दोनों मामलों में जीएआर लागू किया जा सकता है?

(4 अंक)

(ख) आयकर अधिनियम के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने का अधिकार है यदि उसके विचार में राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो तो।

यदि निर्धारिती बैंक गारंटी दे तो क्या निर्धारण अधिकारी संपत्ति की अनंतिम कुर्की को रद्द कर सकता है। यदि हां, तो किससे और किस सीमा तक बैंक गारंटी का मूल्य कानून के अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

क्या निर्धारण अधिकारी को किसी भी परिस्थिति में ऐसी बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार है? चर्चा करें।

(4 अंक)

- (ग) (i) “थिन कैपिटलाइजेशन” शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया गया है?
क्या थिन कैपिटलाइजेशन को संबोधित करने के लिए अधिनियम की धारा 94बी के तहत कटौती का दावा करने हेतु अधिनियम द्वारा कोई सीमा निर्धारित की गई है? अलग-अलग निकायों पर इसकी प्रयोज्यता पर चर्चा करें। क्या किसी संस्था को इसकी उपयुक्तता से बाहर रखा गया है? (4 अंक)
- (ii) भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दो प्रकार के डीटीए बनाए गए हैं यानि सीमित डीटीए और व्यापक डीटीए। शब्दों की व्याख्या करें। (2 अंक)

उत्तर

- (क) (i) वर्तमान मामले में, हाईवे रोड्स लिमिटेड बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास से होने वाली आय के अलावा अन्य आय प्राप्त करता है और धारा 80-आईए के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की आय को बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास से होने वाली आय के रूप में दर्शाता है। यह गैर-योग्य आय को धारा 80-आईए के तहत कटौती योग्य आय के रूप में दिखाकर तथ्यों की गलत बयानी का मामला है। इसलिए, यह कर से बचने की नहीं बल्कि कर चोरी का मामला है।
कर चोरी, गैर कानूनी होने के कारण, सही तथ्यों को स्थापित करके सीधे निपटा जा सकता है। ऐसे मामले में जीएआर प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) इस मामले में, हाईवे ड्राइव लिमिटेड, अयोग्य निर्धारिती और हाईवे रोड्स लिमि., योग्य निर्धारिती के बीच निकट संबंध है, चूंकि योग्य निर्धारिती अयोग्य निर्धारिती के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। खरीद लेनदेन को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि यह योग्य निर्धारिती को सामान्य लाभ से अधिक लाभ दे रहा है।
हालांकि, इस प्रकार के कर से बचाव को धारा 80-आईए(10) में निहित प्रावधानों के तहत विशेष रूप से निपटाया जाता है। इसके अलावा, यदि संबंधित पिछले वर्ष में दर्ज किए गए लेनदेन का योग 20 करोड़ रु. की सीमा से अधिक है तो धारा 92बीए के तहत घरेलू हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियम लागू होंगे।
ऐसी स्थितियों में जीएआर को लागू करने का कानून का कोई इरादा नहीं है। इसलिए ऐसे मामले में राजस्व को जीएआर लागू करने की आवश्यकता नहीं है हालांकि सीबीडीटी परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार जीएआर और एसएआर सह-अस्तित्व में हो सकते हैं।
- (ख) हाँ, धारा 281बी(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, धारा 281बी के तहत बनाई गई संपत्ति की अस्थायी कुर्की को रद्द कर सकते हैं, उन मामलों में जहां निर्धारिती ने गारंटी दी हो।
इस प्रकार की बैंक गारंटी अनुसूचित बैंक की होनी चाहिए और धनराशि अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए या ऐसी राशि जो राजस्व के हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त हो, होनी चाहिए।
निर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार है -
- (i) जहां देय राशि को निर्दिष्ट करने वाली मांग संबंधी सूचना निर्धारिती को दी जाती है और निर्धारिती मांग की सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि का भुगतान नहीं कर पाता, निर्धारण अधिकारी उक्त राशि की वसूली के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से बैंक गारंटी ले लेता है।

- (ii) ऐसे मामले में जहां निर्धारित बैंक गारंटी को नवीनीकृत करने में विफल रहता है या एक समान राशि के लिए अनुसूचित बैंक से नई गारंटी नहीं दे पाता, ऐसी गारंटी की समाप्ति से पंद्रह दिन पहले, मूल्यांकन अधिकारी राजस्व के हित में बैंक गारंटी ले लेगा।
- (ग) (i) थिन कैपिटलाइजेशन ब्याज कटौती लाभों का लाभ उठाने की दृष्टि से इक्विटी के बजाय ऋण द्वारा इकाई को वित्त पोषित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, थिन कैपिटलाइजेशन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक कंपनी को इक्विटी की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च स्तर के ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
- थिन कैपिटलाइजेशन को संबोधित करने के लिए, धारा 94बी ब्याज खर्च पर सीमा लगाती है जिसका दावा एक इकाई द्वारा अपने अनिवासी संबद्ध उद्यम से उधार के बारे में किया जा सकता है। धारा 94बी के अनुसार, इसके ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन से पूर्व की आय) के 30% से अधिक किए गए कुल ब्याज भुगतान या उस पिछले वर्ष के लिए संबद्ध उद्यम को भुगतान किए गए या देय ब्याज, जो भी कम हो, कटौती योग्य नहीं होगा। ब्याज कटौती की यह सीमा केवल तभी लागू होगी जब किसी अनिवासी संबद्ध उद्यम द्वारा जारी किए गए किसी ऋण के संबंध में ब्याज खर्च 1 करोड़ रु. से अधिक हो।
- धारा 94बी एक भारतीय कंपनी या भारत में विदेशी कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो अपने अनिवासी संबद्ध उद्यम द्वारा जारी किए गए ऋण के संबंध में ब्याज खर्च करने वाला उधारकर्ता होता है। ऋण संबद्ध उद्यम द्वारा जारी किया गया माना जाएगा, यहां तक कि जहां ऋणदाता संबद्ध उद्यम नहीं है, यदि कोई संबद्ध उद्यम ऐसे ऋणदाता को अंतर्निहित या स्पष्ट गारंटी प्रदान करता है या ऋणदाता के पास धन की समान या बराबर राशि जमा करता है।
- निम्नलिखित को धारा 94बी के प्रावधानों की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है -
- भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी का स्थायी प्रतिष्ठान जो भारत में बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का काम करता है।
 - ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में भुगतान किया गया ब्याज जो अनिवासी की भारत में स्थायी प्रतिष्ठान है, जो एक व्यक्ति के रूप में बैंकिंग व्यवसाय का काम करता है।
- (ii) सीमित डीटीए वे हैं जो केवल कुछ प्रकार की आय तक ही सीमित हैं। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच डीटीए केवल अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन से होने वाली आय तक सीमित है।
- व्यापक डीटीए वे हैं जो किसी भी मॉडल सम्मेलन द्वारा कवर की गई लगभग सभी प्रकार की आय को कवर करते हैं।